



पत्रांक R.T.E /164/13-14/1117

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-  
नोडल पदाधिकारी (RTE Cell), बोकारो

सेवा में,

निदेशक, (प्रा०शि०)  
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,  
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखंड रॉंची।

बोकारो, दिनांक : 31/08/18

विषय :- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 में निहित प्रावधान के तहत भारत सिंह पब्लिक स्कूल फुसरो, बेरमो बोकारो को मान्यता प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के तहत मान्यता प्रदान करने के संबंध में भारत सिंह पब्लिक स्कूल फुसरो, बेरमो बोकारो की स्थलीय जाँच प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बेरमो, बोकारो द्वारा करायी गयी। इनके द्वारा जाँचोपरांत उक्त विद्यालय का जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः जाँच पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय से संबंधित अभिलेखों के आधार पर उक्त विद्यालय को निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के तहत मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।  
अनुलग्नक : 74 पन्नों में।

विश्वासभाजन  
श्री 12/18

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-  
नोडल पदाधिकारी (RTE Cell), बोकारो

31/08/2018

